राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1378/2013/जोधपुर.

मैसर्स शबनम एन्टरप्राईजेज, 137–बी, कबीर मार्ग,
बाबा रामदेव पेट्रोल पम्प के सामने, सूरसागर रोड़, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी. एम. चौपड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17/12/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 38/आरवेट/जेयूडी/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.03.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे **'जांच अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 23.06.2012 को एन.एच.27 मावल (आबूरोड़) पर वाहन संख्या आर.जे.19/2जी–0267 को चैक किये जाने पर वाहन में मोरबी (गुजरात) से जोधपुर के लिये 'डुपलेक्स बोर्ड' परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स मिलेनियम पेपर्स प्रा0 लि0 राजकोट का इन्वॉयस संख्या 0900 दिनांक 23.6.2012 पेश किया गया। किन्तु माल से सम्बन्धित बिल्टी एवं घोषणा–पत्र वैट–47 प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रथम दृष्टया करापवंचन का प्रकरण होने से प्रकरण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) को प्रेषित किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित अधिसूचित श्रेणी के माल के साथ घोषणा प्रपत्र वेट–47 नहीं पाये जाने पर माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को जारी

लगातार.....2

किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 संख्या 7286061 पेश करते हुए जाहिर किया गया कि उनके द्वारा प्रेषक व्यवहारी को घोषणा–पत्र भिजवाया गया था, किन्तु लिपिकीय त्रुटि से प्रपत्र माल के साथ भिजवाने से रह गया। अतः नया प्रपत्र पेश कर रहे हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के जवाब के तथ्यों एवं इसके साथ प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार किया जाकर माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के उल्लंघन के लिये अपीलार्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 97,632/– आरोपित करने का आदेश दिनांक 25.06.2012 पारित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषक व्यवहारी को घोषणा–पत्र वैट–47 पूर्व में ही भिजवा दिया गया था, किन्तु भूलवश उक्त प्रपत्र वाहन चालक को देने से रह गया, जिसमें उनका कोई करापवंचन का आशय नहीं था। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.06.2012 की पालना में उसी दिन वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्ण रूप से भरा हुए घोषणा प्रपत्र वेट–47 उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने के बावजूद वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये व्यवहारी पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करना पूर्णतः अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए, शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में त्रुटि की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स डी.पी.मेटल्स** के निर्णय **(2001) 124 एस.टी.सी. 611** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार नोटिस की पालना में दसतावेज प्रस्तुत किये जाने पर धारा 76(5) की पालना हो जाती है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. बहस के दौरान प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र वेट–47 माल के साथ नहीं पाया जाना वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन

लगातार.....3

है। सक्षम अधिकारी के नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न घोषणा प्रपत्र वेट–47 व्यवहारी की शास्ति से बचने हेतु बाद की सोच का परिणाम होने से स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की ओर से जवाब के साथ पेश किये गये घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधिनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के समुचित अवलोकन के उपरान्त अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में वक्त चैकिंग वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित केवल इन्वॉयस संख्या 0900 दिनांक 23.06.2012 प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त माल से सम्बन्धित बिल्टी एवं घोषणा–पत्र वैट–47 प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 25.06.2012 को अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा उसी दिन घोषणा–पत्र वेट–47 संख्या 7286061 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा प्रपत्र प्रेषक व्यवहारी को भिजवाया गया था, किन्तु उनके द्वारा माल के साथ प्रेषित नहीं किया गया, अतः नया घोषणा–पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त जवाब एवं घोषणा–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घोषणा–पत्र नोटिस की पालना में नया तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी. सी. 611 मैसर्स डी. पी. मैटल्स** के आलोक में स्वीकार्य नहीं है। उक्त निर्णय का यह स्पष्ट आशय है कि नोटिस की पालना में केवल वही दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जो कि संव्यवहार से पूर्व अस्तित्व में थे। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :–

> ".....If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce **the same.**

7. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष घोषणा–पत्र वैट–47 की पुस्तक प्रस्तुत की गयी थी, जिसके अवलोकन के उपरान्त अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में निम्न अंकन किया गया है :–

लगातार.....4

".....मेरे द्वारा अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जारी वैट 47 की पुस्तक का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि प्रेषक फर्म M/s Millenium papers Pvt.Ltd को पूर्व में वैट 47 संख्या 7286060 परिवहन के पूर्व जारी किए गए थे जिसका माल प्रेषक फर्म M/s Millenium papers Pvt.Ltd द्वारा बिल संख्या 531 दिनांक 1.6.2012 को रू. 3,45,083/– का जारी हो चुका है एवं यह माल अपीलार्थी फर्म द्वारा प्राप्त भी किया जा चुका था इस तरह यह पूरी तरह से पुष्टि होती है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा किया गया कथन गलत है कि उनके द्वारा वैट 47 प्रेषक को भेजा गया था एवं संलग्न नहीं करना एक तकनीकी भूल है।"

8. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रेषित घोषणा–पत्र वैट–47 (संख्या–7286060) का संव्यवहार पूर्ण हो चुका था, जिसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा कोई घोषणा–पत्र प्रेषक व्यवहारी को प्रेषित नहीं किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत किया गया घोषणा–पत्र वैट–47 संख्या 7286061 उक्त घोषणा–पत्र का अगला प्रपत्र है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि घोषणा–पत्र प्रेषक व्यवहारी को भिजवा दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा दस्तावेजों के साथ संलग्न करने से रह गया, तथ्यों से प्रमाणित नहीं होता है, अपितु मिथ्या कथन है। वक्त जांच परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल्टी भी प्रस्तुत नहीं की गयी है, प्रकरण में यदि जांच नहीं की जाती तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी संव्यवहार को अपने बहियातें में इंद्राजित ही नहीं करता।

9. उक्त विवेचन से पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा बिना घोषणा–पत्र वैट–47 के माल का आयात किया गया है, जो कि वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन है, जिसके लिये वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आकर्षित होती है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि की जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि की जाना नहीं पाया जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील बलहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 12.3.2013 व शास्ति आदेश दिनांक 25.06.2012 की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 17.12.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य